भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2984

(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की स्थिति

2984. श्री रमाशंकर बिद्यार्थी राजभर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में, विशेषकर देवरिया और बलिया जिलों में, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास सॉफ्ट पोर्टल पर ऐसे कई आवासों को पूर्णत: निर्मित दर्शाया गया है, जो निरीक्षण करने पर अधूरे या रहने योग्य नहीं पाए गए और गलत रिपोर्टिंग के मामलों में संबंधित अधिकारियों/एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवासों में पेयजल, शौचालय और बिजली जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में क्या स्थिति है और भुगतान की अंतिम किस्त जारी होने से पहले इन सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में दिव्यांग व्यक्तियों के कम कवरेज और पीएमएवाई-जी के अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची से पात्र परिवारों को बाहर रखने के मुद्दे की समीक्षा की गई है और इस योजना की निगरानी करने और अपात्र लाभार्थियों को दी गई निधि की वसूली के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देवरिया और बलिया जिलों में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है। यह मंत्रालय

सूचना प्रबंधन प्रणाली पोर्टल आवाससॉफ्ट, आवधिक समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय दौरों एवं निरीक्षणों के माध्यम से योजना की प्रगति की निगरानी करता है।
मकानों की स्थिति निर्माण पूर्ण होने और जियो-टैगिंग के उपरांत ही पूर्ण दिखाई जाती है। तथापि, जिन मामलों में आवाससॉफ्ट पर दर्ज स्थिति और मकानों की जमीनी वास्तविक स्थिति के बीच विसंगतियाँ पाई जाती हैं, उनमें राज्य सरकारों द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है। ऐसी कार्रवाइयों में जिला प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन, एमआईएस में अभिलेखों का सुधार, लंबित कार्यों की पूर्णता और योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार गलत रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई शामिल है।

(ख) पीएमएवाई-जी अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से परिवारों को बुनियादी सुविधाओं सहित मकान निर्माण की सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित है, जिसमें मकान निर्माण के लिए इकाई सहायता के अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) से 90/95 श्रम-दिवस की अकुशल मजदूरी, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), मनरेगा योजना या किसी अन्य विशेष वित्त पोषण स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालय निर्माण की सहायता, पाइप से पेयजल प्रदायगी, विद्युत कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एवं भवन निर्माण सामग्री और खाना पकाने हेतु उपयुक्त ईंधन, ठोस एवं तरल कचरे का उपचार आदि की उपलब्धता शामिल है। शौचालय का निर्माण पीएमएवाई-जी मकान का एक अभिन्न अंग बना दिया गया है। मकान को पूर्ण तभी माना जाएगा जब शौचालय का निर्माण हो जाए। दिनांक 06.03.2026 तक, पीएमएवाई-जी के अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से देश में 2.95 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है, 2.96 करोड़ मकानों का विद्युतीकरण किया जा चुका है, 2.79 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है और 2.33 करोड़ मकानों को जल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है।

विकसित भारत–रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम की अनुसूची I के पैरा 4(2), (ख) श्रेणी II - मूल ग्रामीण अवसंरचना - (viii) केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत अनुमत ग्रामीण आवास कार्य, जिनमें पीएमएवाई-जी के अंतर्गत अनुमत कार्य शामिल हैं, में पीएमएवाई-जी के लिए रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा 6, (i) में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों को पात्र व्यक्तिगत लाभार्थी की सूची में शामिल किया गया है।

(ग) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के अंतर्गत निर्धारित आवास वंचन मानकों और अपवर्जन मानदंडों पर आधारित है। इन मानदंडों को एसईसीसी 2011 डेटाबेस पर लागू किया जाता है और डेटाबेस से सिस्टम द्वारा तैयार परिवारों की प्राथमिकता सूची पर ग्राम सभा बैठकों में विचार-विमर्श किया जाता है। ग्राम सभाओं द्वारा उचित सत्यापन और अपीलीय प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात ग्राम पंचायतवार स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्लूएल) तैयार की जाती है। तत्पश्चात, उन लाभार्थियों की पहचान के लिए जो पीडब्लूएल में शामिल किए जाने के लिए पात्र हैं किंतु एसईसीसी 2011 से छूट जाने का दावा करते हैं, जनवरी 2018 से मार्च 2019 के दौरान आवास+ सर्वेक्षण किया गया। इस प्रक्रिया में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अतिरिक्त परिवारों का विवरण अपलोड किया जोकि ग्राम सभा द्वारा सत्यापन और अपीलीय प्रक्रिया के अध्यधीन था।

इसके अतिरिक्त, 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण मकानों के निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए पीएमएवाई-जी को 5 और वर्षों (वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29) तक विस्तारित करने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवास+ 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से ईकेवाईसी फेस-आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके और संशोधित अपवर्जन मानकों के साथ अतिरिक्त पात्र परिवारों की पहचान के लिए नया सर्वेक्षण भी किया जा रहा है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है। तदनुसार, पीएमएवाई-जी की योजना में सहायता प्रदान किए जाने वाले लाभार्थियों के बीच आपसी प्राथमिकता तय करते समय, किसी भी दिव्यांग व्यक्ति और बिना किसी सक्षम वयस्क सदस्य वाले परिवारों को अतिरिक्त वंचना स्कोर दिया गया है ताकि मकान आवंटित करते समय ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी जाए। "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, राज्य, यथासंभव, यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि राज्य स्तर पर 5% लाभार्थी निर्धारित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों में से हों, जिसमें निर्धारित दिव्यांगता वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए।